

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, चित्तौड़गढ़**पीठासीन अधिकारी- गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)**

प्रकरण संख्या 129/2022 (GCMS 2022/129)	दायर दिनांक 09.05.2022	निर्णय दिनांक 04.08.2022
--	---------------------------	-----------------------------

उनवान

सरकार जरिये श्री महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रार्थी**बनाम**

- 1-श्री रामप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री रामगोपाल (नोमीनी फर्म), मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ (राज.)
- 2-मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ (राज.)

अप्रार्थीगण

--:: जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 नियम 2011 ::--

--:: निर्णय ::--

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग ने परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) के तहत विरुद्ध अप्रार्थी के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इन्हें राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन दिनांक 25.07.2011 के गजट में भाग 2 (क) पर इनका नाम प्रकाशित हुआ है एवं निदेशालय के आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2021/175 दिनांक 26.05.2021 के द्वारा इनका कार्य क्षेत्र कार्यालय मुख्य



चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र आवंटित किया गया है तथा सम्पूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला इनके कार्य क्षेत्र में आता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 13.01.2022 को समय 04.00 पी.एम. पर श्री रामप्रकाश गुर्जर मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. डायमण्ड चौराहा, चित्तौड़गढ़ का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय श्री रामप्रकाश मौजूद था जिसे अपना परिचय दिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय विक्रय किये जा रहे खाद्य पदार्थ दूध मिक्स में मिलावट का संदेह होने पर आम जनता के विक्रय हेतु रखे कुल 20 लीटर दूध मिक्स में से 2 लीटर जांच हेतु खरीदा जिसकी कीमत के रूपये 80/- भुगतान कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता ने पढ़कर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। ये रसीद न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता को पढ़कर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री रामप्रकाश ने पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री रामप्रकाश को देकर रसीद प्राप्त की जो फार्म संख्या 5ए एवं फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ दूध मिक्स को चार साफ व सुखी व खाली काँच की शीशियों में बराबर-बराबर डाला और 40-40 बूंदे फॉर्मेलीन डालकर एयर टाईट किया एवं चारों शीशियों पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के कोड एवं क्रमांक ए एम-1516 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये। चारों नमूना शीशियों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए एम-1516 नियमानुसार चारों नमूना शीशियों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक शीशि को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना शीशियों पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर पर आवे। चारों शीशियों पर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना शीशियों को अपने जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की सात प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील अंकित की, जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर राज. को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ



संलग्न है। दो फार्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर कार्यालय खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, उदयपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो भाग (ii-iii) नमूना शीशियों मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर एवं iv पार्ट मय फार्म संख्या 6 के सील बन्द कर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से प्राप्त मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज. उदयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/86/एक्ट/2022/86 दिनांक 24.01.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना एक्सट्रेनियस मैटर्स एडेड एसएमपी (Extraneous Matters) होना पाया गया। जाँच रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रतियां संलग्न है। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ ने श्री रामप्रकाश को नमूना पुनः जाँच का नोटिस भेजा जो न्यायनिर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रकरण के संबंधित समस्त दस्तावेज अभिहित अधिकारी को पेश किये। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ ने पत्रांक/एफएसएसए/2022/1678 दिनांक 27.04.2022 से आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्याय निर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ असल प्रति संलग्न है। उक्त प्रकरण में उक्त अभियुक्तगण ने एक्सट्रेनियस मैटर्स Extraneous Matters (SMP) दूध मिक्स का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(II) का उल्लंघन किया है जो कि धारा 54 के अन्तर्गत जुर्माने योग्य अपराध है। अतः अभियुक्तगण को अधिकतम जुर्माना करने की कृपा करें ताकि एक्सट्रेनियस मैटर्स Extraneous Matters (SMP) खाद्य पदार्थ के निर्माण एवं विक्रय को रोका जा सके।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद के समर्थन में गवाहान की शहादत हेतु शहादत सूची प्रस्तुत की गई जो कि शामिल पत्रावली है। शहादत सूची के अनुसार गवाह संख्या 1 महेश कुमार सिहाग, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 2 डॉ. रामकेश गुर्जर, अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ गवाह संख्या 3 महेन्द्र सिंह, वा. अ. कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ तुफसील कागजात पेश किये तथा अपने परिवाद के



समर्थन में समस्त संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर रेकार्ड पर है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रस्तुत परिवाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड ए. डी. के माध्यम से नोटिस प्रेषित कर तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामप्रकाश स्वयं उपस्थित हुआ एवं जवाब परिवाद पेश कर आज ही बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया जिस पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 का मुख्य कथन यह रहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा जो दूध मिक्स का सेम्पल लिया वह लूज मिल्क प्रक्रिया में था तथा बिक्री के लिए नहीं था क्योंकि दुग्ध संघ द्वारा सरस ब्राण्ड के नाम से एफएसएसआई के मापदण्डों के अनुसार केवल स्किम मिल्क, डबल टोण्ड मिल्क, टोण्ड मिल्क व फुल किम मिल्क पेकिंग करके ही उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु उपलब्ध कराया जाता है। लूज मिल्क की बिक्री नहीं की जाती है। दुग्ध संघ को अपने कार्यक्षेत्र के ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों से प्राथमिक दुग्ध उत्पादकों, सहाकारी समितियों के माध्यम से प्राप्त हो रहे कुल संकलित कच्चे दूध का वर्तमान में औसत फेट 5.60 प्रतिशत व औसत एसएनएफ 8.60 प्रतिशत है अतः स्टेण्डाईजेशन की प्रक्रिया में एक्ट अनुसार स्किम मिल्क में एसएनएफ न्यूनतम 8.7 प्रतिशत, डबल टोण्ड मिल्क में एसएनएफ न्यूनतम 9.00 प्रतिशत तथा फुल किम मिल्क में एसएनएफ न्यूनतम 9.00 प्रतिशत करनी होती है इसलिए एसएनएफ को उक्त प्रतिशत तक लाने के लिए टॉपअप करने की प्रक्रिया में एसएमपी का उपयोग देशभर के सभी दुग्ध संयंत्रों में पाश्चुराइज मिल्क में किया जाता है जो कि स्वीकृत एवं स्वीकार्य है अतः उक्त प्रकरण को खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता पूर्वक अध्ययन/परिशीलन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी विधिक प्रावधानों के तहत उक्त फर्म के खाद्य पदार्थ का नमूना लिये जाने के लिये अधिकृत है जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 1 से होती है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 2 एवं 3 फार्म नंबर 5 ए एवं नमूना क्रय रसीद की प्रति से जाहिर होता है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता/मालिक को खाद्य पदार्थ दूध मिक्स का नमूना वास्ते जांच लेने हेतु सूचना दी गई जिस पर अप्रार्थी एवं मौके के गवाहान के हस्ताक्षर हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लिये जाने हेतु विक्रेता/मालिक से नियमानुसार खाद्य पदार्थ क्रय किया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 3 से होती है, उस पर भी विक्रेता एवं गवाहान की शहादत के रूप में हस्ताक्षर हैं, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 4 से जाहिर होता है कि उक्त कार्यवाही दिनांक 13.01.2022 को मौके पर



की गई। दस्तावेज क्रमांक 4 मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 13.01.2022 से जाहिर होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ दूध मिक्स जिसका नमूना खरीद बिल पत्रावली पर उपलब्ध है से क्रय किया एवं उस पर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1516 नियमानुसार प्रत्येक नमूना भाग पर ऊपर सीरे से लेकर नीचे पेंदे तक व वापस सीरे तक लगातार गोलाई में गोन्द से चिपकाई एवं धागे से बांध कर नियमानुसार ब्रास सील संख्या 35 से सील चपडी किया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद्य पदार्थ को नियमानुसार सील किया गया है। हमने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 5 फार्म नंबर 6 की प्रति का अवलोकन किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रवाहक मनोहर के साथ आउटर कवर में सील बंद नमूने फार्म नंबर 6 एवं सील्ड लिफाफे खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर को नमूना क्रमांक AM-1516 मय लिफाफे के जमा कराये जाने हेतु भिजवाया गया जिसकी पुष्टि दस्तावेज क्रमांक 5 से होती है। हमने खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर की रसीद दस्तावेज क्रमांक 5 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि पत्रवाहक मनोहर द्वारा उक्त नमूना मय लिफाफे के दिनांक 14.01.2022 को जमा कराया गया। हमने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत नियम 2.4.1(10)(ii) एवं 2.4.1(10)(iii) के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की रसीद दस्तावेज क्रमांक 6 का अवलोकन किया जिससे जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी से लिये गये शेष 3 नमूनों एवं फार्म संख्या 6 की प्रतियों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा कराये गये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज क्रमांक 8 के अवलोकन से जाहिर होता है कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के पत्रांक/एफएसएसए/2022/364 दिनांक 01.02.2022 से अप्रार्थी को खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या LS 869/ACT 2022/86 Dated 24-01-2022 की प्रति जरिये रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित की गई है, उक्त पत्र रिकार्ड पर है। हमने खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट LS 86/ACT 2022/86 Dated 24-01-2022 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट एवं मतानुसार:-

Report LS 86/ACT 2022/86 Dated 24-01-2022

Certified that I RAVI SETHI duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) for RAJASTHAN STATE received from Sh. Mahesh Kumar Sihag, Food Safety Officer District Chittorgarh, a sample of Mixed Milk (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1516 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh on 14-01-2022 for analysis.



The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows Brass Scal No. 35 Intact and unbroken. The seals fixed on the container and outer cover tallied with the specimen seal impression sent separately, along with the copy of the memorandum ,in sealed envelope.

I found the sample to be Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.2 (2b) (Mixed Milk) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analyzed on 17-01-2022 to 24-01-2022 and the result of its analysis is given below-

ANALYSIS REPORT--

- (i) Sample description:- The Loose Sample packed in glass jar.
- (ii) Physical appearance:- White in color, homogeneous liquid, Milk in appearance.
- (iii) Label : -- Loose Sample of mixed milk as per form no. vi.

Opinion:- The sample of MIXED MILK (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1516 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh contain extraneous matter (added SMP) under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006.

खाद्य विश्लेषक, उदयपुर की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी महेश कुमार सिहाग द्वारा लिया खाद्य पदार्थ का नमूना जो कि ब्रास सील संख्या 35 से सील्ड अवस्था में खाद्य विश्लेषक को प्राप्त हुआ, उक्त नमूना दिनांक 17.01.2022 से 24.01.2022 तक जांच के लिये उपयुक्त था। उक्त नमूने के संबंध में खाद्य विश्लेषक द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत कराया गया है कि Dairy product and analogues falling under Regulation No. 2.1.2 (2b) (Mixed Milk) of Food Safety and Standards (food products standards and food additives) Regulations 2011. The sample of MIXED MILK (Loose) bearing code no. and serial no. AM-1516 of Designated officer (Food Safety) Cum C.M.&H.O, of District Chittorgarh contain extraneous matter (added SMP) under section 3(1)(i) of the Food Safety and Standards Act 2006. उक्त नमूना जिस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप संख्या AM-1516 दूध मिक्स खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(i) के तहत एक्स्ट्रेनियस मैटर्स, extraneous matters (Added SMP) स्तर का पाया गया है। अभिहित अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट पत्रांक/एफएसएसए/2022/364 दिनांक 01.02.2022 से अप्रार्थीगण को प्रेषित की गई का अवलोकन किया, जिसमें अभिहित अधिकारी द्वारा अप्रार्थीगण को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 46(4) के तहत खाद्य विश्लेषक, उदयपुर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की एवं रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जांच कराये जाने के संबंध में अवगत कराया गया। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्रांक/एफएसएसए/2022/1678 दिनांक 27.04.2022 से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011 की धारा 36 की उपधारा 3(e) के तहत अभियोजन आवेदन प्रस्तुत किये जाने की अभियोजन स्वीकृति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दी जाकर अधिकृत किया गया है जो कि दस्तावेज क्रमांक 9 अभियोजन स्वीकृति होकर रिकार्ड पर है। जहां तक अप्रार्थीगण का कथन है कि एसएनएफ को उक्त प्रतिशत तक लाने के लिए टॉपअप करने की प्रक्रिया में एसएमपी का उपयोग देशभर के



सभी दुग्ध संयंत्रों में पाश्चुराइज मिल्क में किया जाता है जो कि स्वीकृत एवं स्वीकार्य है किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे दूध मिक्स में एसएमपी का उपयोग करने की स्वीकृति संबंधी उनके कथन की पुष्टि होती हो।

अतः यह तथ्य निर्विवाद रूप से न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ (दूध मिक्स) एक्सट्रेनियस मेटर्स का है। इसके साथ ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद को ठोस दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा साबित कराया गया एवं हम आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा किये गये अनुसंधान से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, ऐसी स्थिति में हमारा अभिमत है कि पत्रावली में किसी भी प्रकार अतिरिक्त साक्ष्य एवं शहादत की आवश्यकता नहीं है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 25 में खाद्य पदार्थों के आयात एवं धारा 26 में खाद्य कारोबारकर्ता के दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक खाद्य कारोबारकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि खाद्य वस्तुएं इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों कि अपेक्षाओं को अपने नियंत्रणाधीन कारोबार को अंदर उत्पादन, प्रसंस्करण, आयात, वितरण और विक्रय के सभी प्रक्रमों को पूरा करती है।

अधिनियम के अनुसार खाद्य पदार्थ विक्रेता/निर्माता को उक्तानुसार विधि की पालना किया जाना अपेक्षित है, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा इसकी जांच नहीं कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया गया है। अतः उक्त प्रावधानों के तहत अप्रार्थीगण को दोष मुक्त नहीं किया जा सकता है। अतः अप्रार्थीगण को उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रय करने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किये जाने का दोष प्रमाणित माना जाता है ऐसी स्थिति में विपक्षीगण/अप्रार्थीगण जो कि उक्त खाद्य पदार्थ के विक्रेता/निर्माता है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामप्रकाश पुत्र रामगोपाल गुर्जर (नोमीनी फर्म) मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) के दोष का दोषी पाया जाकर दोषसिद्धि घोषित की जाती है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अधिनियम की धारा 54 के अनुसार अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के प्रावधान है। अतः हमने पत्रावली का अवलोकन कर अर्थदण्ड के बिन्दु पर चिंतन किया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत दोष सिद्ध अभियुक्तगण को अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने के संबंध में अधिनियम की धारा 49 में वर्णित तथ्यों के आधार पर दण्डित किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा



49 एवं 54 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय किये जाने से अभियुक्त अप्रार्थी संख्या 1 श्री रामप्रकाश पुत्र रामगोपाल गुर्जर (नोमीनी फर्म) मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ एवं अप्रार्थी संख्या 2 मैसर्स चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., डायमण्ड चौराहा, रिठोला, चित्तौड़गढ़ को संयुक्त रूप से राशि रूपये 50000/- अक्षरे पचास हजार रूपये मात्र के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्तगण उपरोक्त अर्थदण्ड एक माह की अवधि में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, चित्तौड़गढ़ के मार्फत राजकोष में जमा करावें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते है कि नियत समयावधि में शास्ति राशि जमा नही कराने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 22006 की धारा 96 के तहत शास्ति राशि भू-राजस्व के बकाया की तरह वसूल करने की कार्यवाही करावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चित्तौड़गढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे।

‘निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(गितेश श्री मालवीय)
न्याय निर्णयन अधिकारी
एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
जिला चित्तौड़गढ़